


मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
// आदेश //

भोपाल, दिनांक २५ अक्टूबर, 2017

क्रमांक:एफ-5(ए)/2/2017/ई/चार, राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14.8.2017 द्वारा श्री महेन्द्रपाल सिंह निरंजन (म.प्र.वित्त सेवा अधिकारी) वित्तीय सलाहकार, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल एवं अपर संचालक, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ किया गया था, उक्त आदेश में संशोधन करते हुए, श्री महेन्द्रपाल सिंह निरंजन (म.प्र.वित्त सेवा अधिकारी) से अपर संचालक, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का कार्य वापिस लेते हुए, मात्र वित्तीय सलाहकार, अनुसूचित जाति विभाग एवं अपर संचालक, अनुसूचित जाति कल्याण, भोपाल के पद पर पदस्थ करता है।

2/ विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 4.7.2017 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री चन्द्रशेखर राजवैद्य, संयुक्त संचालक (वित्त) अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की पदस्थापना संयुक्त संचालक (वित्त) संचालनालय अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में की जाकर अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ वित्तीय सलाहकार, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग भोपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा


आदेशानुसार,

(विजय कठोने)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक २५ अक्टूबर, 2017

पृष्ठां.क्रं.एफ-5(ए)/2/2017/ई/चार,
प्रतिलिपि:-

1. माननीय वित्त मंत्रीजी के विशेष सहायक,
 2. अपर मुख्य सचिव, वित्त के स्टाफ आफीसर,
 3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन/आदिम जाति/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय,
 4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के निज सहायक,
 5. सचिव (कार्मिक) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,
 6. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल,
 7. आयुक्त, आदिम जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, भोपाल,
 8. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल,
 9. मुख्य लेखाधिकारी, वल्लभ भवन, मंत्रालय,
 10. कोषालय अधिकारी, भोपाल,
 11. संबंधित अधिकारी-----
 12. गार्ड फाईल,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग